

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2024—अग्रहायण 8, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती हेमलता मिश्रा (Hemlata Mishra) पत्नी श्री पुष्पेन्द्र, निवासी—मं.नं. 6, पिपलिया पेदे खां हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हीरा बाई मिश्रा (Hira Bai Mishra) अंकित है जो कि गलत है. जबकि विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती हेमलता मिश्रा (Hemlata Mishra) पत्नी श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम श्रीमती हेमलता मिश्रा (Hemlata Mishra) पत्नी श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(हीरा बाई मिश्रा)

(Hira Bai Mishra)

(G-2538)

नया नाम

(हेमलता मिश्रा)

(Hemlata Mishra)

पत्नी – श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम चन्द्रभान सिंह जाटव (Chandrabhan Singh Jatav) है. यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे—आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है. मैं, अपने नाम से अपना उपनाम जाटव हटा रहा हूँ. अतः भविष्य में मुझे चन्द्रभान सिंह जाटव (Chandrabhan Singh Jatav) के स्थान पर चन्द्रभान सिंह (Chandrabhan Singh) के नाम से जाना—पहचाना जावे व मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(चन्द्रभान सिंह जाटव)

(G-2539)

नया नाम

(चन्द्रभान सिंह)

पुत्र—श्री रामदीन सिंह जाटव

पता—98, इन्द्रमणी नगर, बिहांडुड मेला ग्राउण्ड, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, JEZZY CHIRAYATH DEVASSY पिता C.D. DEVASSY, निवासी-सेन्ट मेरीज स्कूल, गौर नगर, सागर (म.प्र.). मेरा समस्त दस्तावेजों में नाम JEZZY CHIRAYATH DEVASSY है परंतु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सिस्टर अमृता लिखा हुआ है. समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम JEZZY CHIRAYATH DEVASSY दर्ज है. अतः मेरे नाम को सिस्टर अमृता के स्थान पर JEZZY CHIRAYATH DEVASSY पढ़ा-लिखा एवं समझा जाए.

(G-2540)

सूचनाकर्ता

(JEZZY CHIRAYATH DEVASSY).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अर्चना पत्नी श्री प्रवीण तिवारी, निवासी-म.नं. 46, शिवओम ग्रीन पार्क, संजीव नगर, भोपाल. मेरे पुत्र गोपील तिवारी, मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में अर्चना (ARCHANA) अंकित है. मेरा सही नाम अर्चना तिवारी (ARCHNA TIWARI) जो कि सही है, मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम अर्चना तिवारी (ARCHNA TIWARI) लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

(अर्चना)

(ARCHANA)

नया नाम

(अर्चना तिवारी)

(ARCHNA TIWARI).

(G-2541)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 13 जुलाई 2022 को गठित होकर क्रियाशील हुई भागीदारी फर्म M/s ZENITH ASSOCIATES में पूर्व में भागीदार क्रमशः 1. श्री राहुल शर्मा पिता श्री मातादीन शर्मा, 2. श्री सलमान खान पिता जहूर खान थे. आज दिनांक 25 नवम्बर 2023 को भागीदार क्रमांक-3 श्री कामेश गुप्ता पिता श्री राजेश कुमार गुप्ता आयु 29 वर्ष निवासी-मं.नं. 87 ग्राम, पोस्ट हरदी, हार्डी, पन्ना (म.प्र.). फर्म में सम्मिलित हो गए हैं और इस संबंध में आज दिनांक 25 नवम्बर 2023 को ही संशोधित भागीदारी पत्रक का निष्पादन हुआ है और जो आज से ही प्रभावशील हो गया है अर्थात् यह संशोधित भागीदारी पत्रक दिनांक 25 नवम्बर 2023 को व्यवसायिक गतिविधियों की समाप्ति के बाद दिनांक 25 नवम्बर 2023 से प्रभावशील मानते हुए लेखबद्ध किया गया है.

M/s ZENITH ASSOCIATES

(राहुल शर्मा)

भागीदार.

(G-2542)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, स्मिता मुकाती पति दिपक मुकाती, निवासी-296, पालनगर, जिला-देवास (म.प्र.). विवाह पूर्व मेरा नाम स्मिता चौधरी पिता-शंकरलाल चौधरी, निवासी-कुड़ाना, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश था, अब विवाह उपरांत मैं, अपना नाम स्मिता मुकाती पति दिपक मुकाती करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम स्मिता मुकाती पति दिपक मुकाती के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(स्मिता चौधरी)

आत्मज-शंकरलाल चौधरी

नया नाम

(स्मिता मुकाती)

पति-दिपक मुकाती.

(G-2543)

नाम परिवर्तन

मैं, श्याम शाही (SHYAM SHAHI) श्री जगत बहादुर शाही, निवासी—एच 01, अनंता ब्लॉक, एच टाइप एस.ए.एफ. 6वीं वाहिनी विसबल पुरानी फैमली लाइन रांझी, मानेगांव, जबलपुर. मेरा नाम श्याम शाही है. जो सही है. मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम श्याम कुमार शाही दर्ज है. अतः मेरे समस्त दस्तावेजों के आधार पर (आधार कार्ड /पेन कार्ड/वोटर आई डी) मेरा नाम सुधार कर श्याम शाही आत्मज जगत बहादुर शाही पढ़ा व पहचाना जावे. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के ही हैं. प्रकाशन उपरांत मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा पूरा व सही नाम श्याम शाही दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(श्याम कुमार शाही)

(G-2544)

नया नाम

(श्याम शाही)

(SHYAM SHAHI)

पिता—जगत बहादुर शाही

(JAGAT BHADUR SHAHI).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में नदीम बारी व नदीम पिता अब्दुल बारी जो मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में अंकित हो गया है. प्रकाशन उपरांत मेरे अपने परिवर्तित नाम नदीम खान पिता अब्दुल बारी के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(नदीम बारी व नदीम)

(G-2545)

नया नाम

(नदीम खान पिता अब्दुल बारी)

निवासी—310/2, मुर्गी केंद्र,

दूसरे पुलिया आज़ाद नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में शाहरुख़ पिता ताज मोहम्मद जो मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में अंकित हो गया है. प्रकाशन उपरांत मेरे अपने परिवर्तित नाम शाहरुख़ शेख पिता ताज मोहम्मद के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शाहरुख़ शेख)

(G-2546)

नया नाम

(शाहरुख़ शेख पिता ताज मोहम्मद)

निवासी—4/1, नयापुरा,

न्यू सियागंज के पास, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हिरदेस मोगिया (Hirdesh Mogiya) पुत्र गंगा राम सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम हिरदेस मोगिया (Hirdesh Mogiya) पुत्र गंगा राम है जो कि सही है, परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम कमलेश विश्वकर्मा (Kamlesh Vishwakarma) अंकित हो गया है जो कि गलत है. इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में हिरदेस मोगिया (Hirdesh Mogiya) पुत्र गंगा राम के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

(कमलेश विश्वकर्मा)

(Kamlesh Vishwakarma)

(G-2547)

नया नाम

(हिरदेस मोगिया)

पुत्र—गंगा राम

पता—पी.ओ. सिराली, डिस्ट्रिक्ट हरदा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रज्जू लाल (Rajju Lal) पुत्र लल्ली राम सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रज्जू लाल (Rajju Lal) पुत्र लल्ली राम है जो कि सही है. परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम भीकम सिंह (Bheekam Singh Rajpoot) अंकित हो गया है जो कि गलत है. इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य दस्तावेजों में रज्जू लाल (Rajju Lal) पुत्र लल्ली राम के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(भीकम सिंह)

(G-2548)

नया नाम
(रज्जू लाल)

पता-गोपालपुर पोस्ट दनवास गोपालपुर,
विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हरिराम यादव, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम रक्षा यादव (Raksha Yadav) है जो उसके सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है परन्तु आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में त्रुटि से रेखा यादव (Rekha Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है. इस प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में रक्षा यादव (Raksha Yadav) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(रेखा यादव)
(Rekha Yadav)

(G-2549)

नया नाम
(रक्षा यादव)
(Raksha Yadav)

आत्मज-हरिराम
पता-ग्राम नांदनेर पोस्ट नांदनेर पी ओ बखतरा,
सब डिस्ट्रिक्ट बुधनी, डिस्ट्रिक्ट सीहोर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रिकू सोलंकी, अपने पुत्र दक्ष सोलंकी का नाम परिवर्तित कर जयंत सोलंकी (Jayant Solanki) करना चाहती हूँ. इस प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में जयंत सोलंकी (Jayant Solanki) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(दक्ष सोलंकी)

(G-2550)

नया नाम
(जयंत सोलंकी)
(Jayant Solanki)

आत्मज-जितेन्द्र सोलंकी एवं रिकू सोलंकी
पता-23, नरवल करकर, सांवेर मार्ग एफ सेक्टर,
इंडस्ट्रियल एस्टेट, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अमरीन शेख (Amreen Sheikh) पुत्री शेख अकबर अली, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य दस्तावेजों में मेरा अमरीन शेख (Amreen Sheikh) पुत्री शेख अकबर अली है. परंतु मैं, अपना नाम परिवर्तित कर कायरा ए (Kyra A) पुत्री शेख अकबर अली करना चाहती हूँ. इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य दस्तावेजों में कायरा ए (Kyra A) पुत्री शेख अकबर अली के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(अमरीन शेख)
(Amreen Sheikh)

(G-2551)

नया नाम
(कायरा ए)
(Kyra A)

पुत्री-शेख अकबर अली
पता-189/2 मालवीय नगर, इन्दौर
विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s GURU SHARNAM ASSOCIATES के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 04/14/01/0258/20, दिनांक 20 फरवरी 2020 है. इस फर्म में दिनांक 5 मार्च 2021 को दो भागीदार (1) श्री बसंत यादव पिता श्री धूप सिंह यादव, निवासी—मकान नं. 29, ग्राम रैगवा सूखा, जिला जबलपुर (म.प्र.). (2) श्री सुशील पटेल पिता श्री शिवकुमार पटेल, निवासी—मकान नं. 61111, पाटन रोड, करमेता, जिला जबलपुर (म.प्र.) निकल रहे हैं तथा इस फर्म में दिनांक 5 मार्च 2021 को एक भागीदार (1) श्री हर्ष तिवारी पिता श्री सुशील तिवारी, उम्र 25 वर्ष, निवासी—मकान नं. 263, पिक हाउस, मिलोनीगंज, जबलपुर (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं तथा इस फर्म से दिनांक 28 मार्च 2024 को दो भागीदार (1) श्री पवन कुमार जैन पिता श्री प्रकाशचंद जैन, उम्र 48, निवासी—मकान नं. 857, कमानिया गेट, जैन मंदिर के पास—जबलपुर (म.प्र.). (2) श्री हर्ष तिवारी पिता श्री सुशील तिवारी, उम्र 25 वर्ष, निवासी—मकान नं. 263, पिक हाउस, मिलोनीगंज, जबलपुर (म.प्र.) निकल रहे हैं. इस फर्म में दिनांक 28 मार्च 2024 को एक भागीदार (1) श्रीमती प्रिया जैन पति श्री सौरभ जैन, निवासी 515, नार्मल स्कूल रोड, गंजीपुरा, राममनोहर लोहिया वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं.

अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 28 मार्च 2024 से संशोधन उपरांत दो साझेदार (1) सौरभ जैन पिता श्री कैलाश चंद जैन, निवासी—मकान नं. 515, नार्मल स्कूल रोड, गंजीपुरा, जबलपुर, (म.प्र.) (2) श्रीमती प्रिया जैन पति श्री सौरभ जैन, निवासी— 515, नार्मल स्कूल रोड, गंजीपुरा, राममनोहर लोहिया वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.). रहेंगे.

M/s GURU SHARNAM ASSOCIATES

सौरभ जैन

(भागीदार).

(G-2552)

नाम परिवर्तन

मैं, सोरम (SORAM) पत्नी बच्चू राम सपेरा, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सुनीता बाई सपेरा (SUNITA BAI SAPERA) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, सोरम पत्नी बच्चू राम सपेरा के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. सुनीता बाई सपेरा एवं सोरम दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सुनीता बाई सपेरा के स्थान पर सोरम लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सुनीता बाई सपेरा)

नया नाम

(सोरम)

पत्नी—बच्चू राम सपेरा

पता—मकोड़ा कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2553)

नाम परिवर्तन

मैं, अन्नो बाई (ANNO BAI) पत्नी रायसिंह नाथ, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राम बाई (RAM BAI) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अन्नो बाई पत्नी रायसिंह नाथ के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. अन्नो बाई एवं राम बाई दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राम बाई के स्थान पर अन्नो बाई लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राम बाई)

नया नाम

(अन्नो बाई)

पत्नी—राय सिंह नाथ

पता—गांव मकोड़ा, पोस्ट टेकनपुर भरथरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2554)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्चना श्रीवास्तव (ARCHANA SHRIVASTAVA) पत्नी भानु श्रीवास्तव, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम अर्चना शर्मा (ARCHANA SHARMA) पुत्री वनमाली शर्मा था जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय प्रमाण-पत्रों में लिखा गया है जबकि विवाह उपरांत मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव पत्नी भानु श्रीवास्तव हो गया है. वर्तमान में मैं, अर्चना श्रीवास्तव पत्नी भानु श्रीवास्तव के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम अर्चना शर्मा पुत्री वनमाली शर्मा के स्थान पर अर्चना श्रीवास्तव पत्नी भानु श्रीवास्तव लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(अर्चना शर्मा)
पुत्री-वनमाली शर्मा
(G-2555)

नया नाम
(अर्चना श्रीवास्तव)
पत्नी-भानु श्रीवास्तव
पता-304, नील गगन अपार्टमेंट, सिटी सेंटर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह त्रिपालिया (DHARMENDRA SINGH TRIPALIA) था जो कि परिवर्तन करके धर्मेंद्र त्रिपालिया (DHARMENDRA TRIPALIA) पिता कन्छेदी लाल त्रिपालिया (KANCHHEDI LAL TRIPALIA) हो गया है, अतः, अब, मुझे मेरे नये संशोधित नाम से जाना जाए.

पुराना नाम
(धर्मेंद्र सिंह त्रिपालिया)
(DHARMENDRA SINGH TRIPALIA)
(G-2556)

नया नाम
(धर्मेंद्र त्रिपालिया)
(DHARMENDRA TRIPALIA)
पिता-कन्छेदी लाल त्रिपालिया
(KANCHHEDILAL TRIPALIA)
पता-219 स्वामी विवेकानंद परिसर, कटारा, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुश्री ऋतु साहू आत्मज स्वर्गीय श्री रमेश साहू, निवासी-ग्राम पंचायत खेड़ली बाजार, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) था. जिसे परिवर्तित कर मेरे द्वारा रेबिका आरएम जेकब REBECCA RM JACOB रख लिया है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम रेबिका आरएम जेकब REBECCA RM JACOB आत्मज स्वर्गीय श्री रमेश साहू के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(ऋतु साहू)
(RITU SAHU)
(G-2557)

नया नाम
(रेबिका आर.एम जेकब)
(REBECCA RM JACOB)

नाम परिवर्तन

मैं, विशाल गुप्ता पुत्र चित्तरंजन गुप्ता, निवासी-751, सत्यसाई कॉलोनी, स्कीम नं.-114, पार्ट-02, महिन्द्र शोरूम के पीछे, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.). मेरी पुत्री के दस्तावेजों में अनिका गुप्ता पुत्री विशाल गुप्ता नाम दर्ज है, जिसे परिवर्तन कर वेदिका गुप्ता (VEDICA GUPTA) पुत्री विशाल गुप्ता कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में नया नाम वेदिका गुप्ता (VEDICA GUPTA) पुत्री विशाल गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2558)

आवेदक
(विशाल गुप्ता)
(VISHAL GUPTA)

नाम परिवर्तन

मैं, विशाल गुप्ता पुत्र चित्तरंजन गुप्ता, निवासी-751, सत्यसाई कॉलोनी, स्कीम नं.-114, पार्ट-02, महिन्द्र शोरूम के पीछे, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.). मेरी पुत्री के दस्तावेजों में मिषिता गुप्ता पुत्री विशाल गुप्ता नाम दर्ज है, जिसे परिवर्तन कर अरियाना गुप्ता (ARYANA GUPTA) पुत्री विशाल गुप्ता कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में नया नाम अरियाना गुप्ता (ARYANA GUPTA) पुत्री विशाल गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

आवेदक

(विशाल गुप्ता)
(VISHAL GUPTA)

(G-2559)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार भावसार पुत्र गोपाल भावसार, निवासी-मकान नम्बर-18, गोपाल नगर कालोनी, उज्जैन रोड, इटावा, देवास (म.प्र.). मेरे शासकीय अभिलेखों में त्रुटिवश अशोक कुमार भवासिर नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में अशोक कुमार भावसार (ASHOK KUMAR BHAWSAR) पुत्र गोपाल भावसार अंकित है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अशोक कुमार भावसार (ASHOK KUMAR BHAWSAR) पुत्र गोपाल भावसार के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(अशोक कुमार भवासिर)

(ASHOK KUMAR BHAWASIR)

(G-2560)

नया नाम

(अशोक कुमार भावसार)

(ASHOK KUMAR BHAWSAR)

पुत्र-गोपाल भावसार

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता बाई जाट पत्नी संतोष जाट, निवासी-ग्राम सीगॉव, पोस्ट गोपालपुर, तहसील नसरुल्लागंज, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश शानू बाई जाट नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में सुनीता बाई जाट (SUNITA BAI JAT) पत्नी संतोष जाट अंकित है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम सुनीता बाई जाट (SUNITA BAI JAT) पत्नी संतोष जाट के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शानू बाई जाट)

(G-2561)

नया नाम

(सुनीता बाई जाट)

(SUNITA BAI JAT)

पत्नी-संतोष जाट.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र कुमार पाटीदार (Rajendra Kumar Patidar) आत्मज श्री जगन्नाथ सिंह पाटीदार, निवासी - 29 ए, साकेत नगर, देवास (म.प्र.). मेरी अव्यस्क पुत्री नवश्री पाटीदार (Navshri Patidar) है. जिसके आधार कार्ड में उसका नाम नव्या (Navya) अंकित है, किंतु मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम नवश्री पाटीदार (Navshri Patidar) पुत्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार (Rajendra Kumar Patidar) है. मेरी पुत्री इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को नवश्री पाटीदार (Navshri Patidar) पुत्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार (Rajendra Kumar Patidar) के नाम से जाना-पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक

(राजेन्द्र कुमार पाटीदार)

(Rajendra Kumar Patidar)

(G-2562)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, काजल यादव (Kajal Yadav) पुत्री श्री ब्रजमोहन यादव (Brajmohan Yadav), निवासी – हरीपुरा, वार्ड नं. 25, सोठिया रोड, खिरिया, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम प्रेरणा (Prerna) पुत्री श्री ब्रजमोहन यादव (Brajmohan Yadav) अंकित है किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम काजल यादव (Kajal Yadav) पुत्री श्री ब्रजमोहन यादव (Brajmohan Yadav) है. मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. मेरा यही नाम प्रचलन में है. प्रकाशन उपरांत मुझे काजल यादव (Kajal Yadav) पुत्री श्री ब्रजमोहन यादव (Brajmohan Yadav) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा, अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(प्रेरणा)
(Prerna)
(G-2563)

नया नाम
(काजल यादव)
(Kajal Yadav)
पुत्री-श्री ब्रजमोहन यादव
(Brajmohan Yadav)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कामिनी चौहान पत्नी श्री किशोर चौहान, निवासी-81/बी, अयोध्यापुरी कॉलोनी, कोदरिया महु, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनिता दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम कामिनी चौहान है, जो कि मेरे निर्वाचन मतदाता परिचय-पत्र में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कामिनी चौहान पत्नी श्री किशोर चौहान के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनिता)
(G-2564)

नया नाम
(कामिनी चौहान)
पत्नी-श्री किशोर चौहान.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गायत्री बाई पत्नी श्री मोहनलाल, निवासी-453, महु रोड, ग्राम हरसोला, महु, जिला इंदौर (म.प्र.): मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सावित्री बाई दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम गायत्री बाई पत्नी श्री मोहनलाल है, जो कि मेरे निर्वाचन मतदाता परिचय-पत्र में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम गायत्री बाई पत्नी श्री मोहनलाल के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सावित्री बाई)
(G-2565)

नया नाम
(गायत्री बाई)
पत्नी-श्री मोहनलाल.

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932.

It is published for general information that SHRI ASHOK AGRAWAL S/o SHRI MUNNALAL JI AGRAWAL, AGED ABOUT 52 YEARS, OF 42, SANJANA PARK MAIN, BICHOLI MARDANA, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.)-452007 HAS RETIRED ON 24th May 2024 from the firm M/s AGRAWAL REALITIES at HARISONS HOUSE, 194, TRANSPORT NAGAR, BHAWARKUA, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.)-452001 and SHRI ISHAAN AGRAWAL S/o SHRI TARUN AGRAWAL. aged about 23 YEARS, of 24, SANGHI COLONY OPPOSITE HOTEL AMALTAS, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.)-452001 has joined as a new partner on 24th May 2024 in the firm M/s AGRAWAL REALITIES at HARISONS HOUSE, 194, TRANSPORT NAGAR, BHAWARKUA, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.)-452001.

(G-2566)

M/s AGRAWAL REALITIES
Tarun Agrawal
(Partner).

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र पटेल आत्मज श्री गजानंद पटेल, निवासी-ग्राम बछड़ावद, पोस्ट दिग्थान, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र लक्ष्य पटेल के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पियूष पटेल दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम लक्ष्य पटेल पिता देवेन्द्र पटेल है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम लक्ष्य पटेल पिता देवेन्द्र पटेल के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-2567)

(देवेन्द्र पटेल)

जाहिर सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे. बॉक्स कॉरोगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, 14-बी, 15-ए, सेक्टर-आई, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.). भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अधीन गठित फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00128/10, सन् 2004-2005, दिनांक 6 अक्टूबर 2004 है. इस फर्म में दिनांक 1 अप्रैल 2024 को दोनों साझेदारों की सहमति से निष्पादित विलेख के माध्यम से श्रीमती सविता गोयनका पत्नी श्री अरुण गोयनका, आयु 60 वर्ष, निवासी-64, शक्ति नगर, सेक्टर-1, भोपाल एवं श्रीमती राधिका माहेश्वरी गोयनका पत्नी श्री अरनेश गोयनका, आयु 33 वर्ष, निवासी-64, शक्ति नगर, सेक्टर-1, भोपाल, साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए. फर्म में कोई वाद-विवाद नहीं है.

मेसर्स बॉक्स कॉरोगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स

1. अरुण गोयनका
पुत्र श्री सांवलप्रसाद गोयनका
2. अरनेश गोयनका
पुत्र श्री अरुण गोयनका
3. सविता गोयनका
पत्नी श्री अरुण गोयनका
4. राधिका गोयनका
पत्नी-श्री अरनेश गोयनका
(भागीदार).

(G-2568)

जाहिर सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे. भोपाल एयर्स, 124, सेक्टर-आई, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.). भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अधीन गठित फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00319/10, सन् 2009-2010, दिनांक 18 जनवरी 2010 है. इस फर्म में दिनांक 1 अप्रैल 2024 को दोनों साझेदारों की सहमति से निष्पादित विलेख के माध्यम से श्रीमती सविता गोयनका पत्नी श्री अरुण गोयनका, आयु 60 वर्ष, निवासी-64, शक्ति नगर, सेक्टर-1, भोपाल एवं श्रीमती राधिका माहेश्वरी गोयनका पत्नी श्री अरनेश गोयनका, आयु 33 वर्ष, निवासी-64, शक्ति नगर, सेक्टर-1, भोपाल, साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए. फर्म में कोई वाद-विवाद नहीं है.

मेसर्स भोपाल एयर्स

1. अरुण गोयनका
पुत्र श्री सांवलप्रसाद गोयनका
2. अरनेश गोयनका
पुत्र श्री अरुण गोयनका
3. सविता गोयनका
पत्नी श्री अरुण गोयनका
4. राधिका गोयनका
पत्नी श्री अरनेश गोयनका
(भागीदार).

(G-2569)

PUBLIC NOTICE

(U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

It is hereby noticed that M/s VINAYAK ASSOCIATES (Firm Reg. No. 01/01/01/0348/15), registered office at 34-C Sector, Indrapuri, Huzur, Bhopal, (M.P.) is a Partnership firm which was Incorporated on 1st July 2014 was registered with Registrar of Firms and Society as on 14th December, 2015 and reconstitute on 1st day of April 2023 due to the introduction of new partner Mr. Abhinav Sharma and also change in the registered office of the firm to Plot No. 76, Abhinav Shopping Complex, Near Queen Mary School, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.).

That the firm was registered with the Registrar of firm under Registration No. (01/01/01/0348/15) Year 2015.

M/s. VINAYAK ASSOCIATES

J.C. SHARMA

(Partner)

(G-2570)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भीमा बांगरे पुत्री श्री एस.के. बांगरे, निवासी-प्लैट नं. 202, देवलाया प्रस्टीन, होशंगाबाद रोड, बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) ने अपना नाम परिवर्तित कर भव्या भटनागर (Bhavya Bhatnagar) कर लिया है तथा अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम
(भीमा बांगरे)

(G-2571)

नया नाम

(भव्या भटनागर)
पत्नी श्री अंचित भटनागर.

नाम परिवर्तन

मैं, शिवानी जाट पत्नी संदीप जाट, निवासी-ग्राम सीगाँव, पोस्ट गोपालपुर, तहसील नसरुल्लागंज, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश उर्मिला नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में शिवानी जाट (SHIVANI JAT) पत्नी संदीप जाट अंकित है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम शिवानी जाट (SHIVANI JAT) पत्नी संदीप जाट के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(उर्मिला)

(G-2572)

नया नाम

(शिवानी जाट)
(SHIVANI JAT)
पत्नी-संदीप जाट.

नाम परिवर्तन

मैं, शांति बाई (SHANTI BAI) पत्नी हर किशन, निवासी-मकान नं. 117, सेमरा कलां, चांदबड़, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गलत नाम लीला बाई प्रदर्शित हो रहा है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम शांति बाई (SHANTI BAI) पत्नी हर किशन नाम दर्ज है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में नया नाम शांति बाई (SHANTI BAI) पत्नी हर किशन के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(लीला बाई)

(G-2573)

नया नाम

(शांति बाई)
(SHANTI BAI)
पत्नी-हर किशन.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेम बाई पत्नी रमेश राव, निवासी-गांधी भवन के पास, म.नं. 314, प्रताप नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुधा बाई दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा नाम प्रेम बाई पत्नी रमेश राव है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम प्रेम बाई पत्नी रमेश राव के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुधा बाई)
(G-2574)

नया नाम
(प्रेम बाई)
(Prem Bai)
पत्नी-रमेश राव.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद अमीन, निवासी-संजय मार्केट उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.). मेरी पुत्री Safiya Mansoori के शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटिवश मेरा नाम Md. Shakil Mansoori एवं मेरी पत्नी का नाम Shaheen Mansoori दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम Mohammad Shakil एवं मेरी पत्नी का नाम Shahin Begum है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम Safiya Mansoori (पिता) Mohammad Shakil एवं (माता) Shahin Begum के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

(G-2575)

प्रार्थी
(मोहम्मद शकील)
(Mohammad Shakil)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रज्जोबाई पत्नी श्री काशीराम, निवासी-म.नं. 111, ग्राम सुमखेड़ी गढ़ौला जागीर, तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम फूलरानी दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम रज्जोबाई पत्नी श्री काशीराम है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रज्जोबाई पत्नी श्री काशीराम के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(फूलरानी)
(G-2576)

नया नाम
(रज्जोबाई)
पत्नी-श्री काशीराम.

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

पृ.क्र.-2109-ट्रस्ट-2024.- मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक "श्री वीर सार्वजनिक वाचनालय भवन ट्रस्ट" तर्फे अध्यक्ष श्री रवि गंगवाल, कार्यालय पता-45, माणक चौक, तिलक नगर, इंदौर (म.प्र.). द्वारा "श्री वीर सार्वजनिक वाचनालय भवन ट्रस्ट" का (म.प्र.). का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम :-	"श्री वीर सार्वजनिक वाचनालय भवन ट्रस्ट"
कार्यालय पता :-	45, माणक चौक तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति :-	2,55,864/- (दो लाख, पचपन हजार, आठ सौ चौसठ रुपये मात्र)
अचल सम्पत्ति :-	इमलीबाजार माणक चौक, गणपति मंदिर के पास, उत्तर की बाजू की 5643 स्केयर फीट जमीन पर निर्मित भवन, 99 वर्ष के इकरार से लीज पर है.

आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2577)

इन्दौर, दिनांक 24 सितम्बर 2024

संशोधित विज्ञप्ति

पृ.क्र.-2176-ट्रस्ट-2024.- मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक "श्री जबरेश्वर शिव मंदिर विशाल हनुमान मन्दिर पारमार्थिक ट्रस्ट" तर्फे अध्यक्ष कचरूमल अग्रवाल, कार्यालय पता-पुराना 1631/18, नया 8/18, नन्दा नगर, इंदौर (म.प्र.). द्वारा "श्री जबरेश्वर शिव मंदिर विशाल हनुमान मन्दिर पारमार्थिक ट्रस्ट" का (म.प्र.). का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट**(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)**

ट्रस्ट का नाम :-	"श्री जबरेश्वर शिव मंदिर विशाल हनुमान मन्दिर पारमार्थिक ट्रस्ट"
कार्यालय पता :-	पुराना 1631/18, नया 8/18 नन्दा नगर, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति :-	चल निरंक
अचल सम्पत्ति :-	अचल निरंक

आज दिनांक 24 सितम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2578)

निधि वर्मा, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग राऊ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 8 नवम्बर 2024

(फार्म-चार)

क्र.-786-री.राऊ-2024.- आवेदक जयप्रकाश पिता श्रीराम शर्मा, पता-मकान नंबर 1737, सेक्टर-डी, सुदामा नगर, इन्दौर, ट्रस्टी तर्फे माँ नर्मदा सेवा पारमार्थिक ट्रस्ट पता-मकान नंबर 1737, सेक्टर-डी, सुदामा नगर, इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस-1951) की धारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित नाम के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट**(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)**

ट्रस्ट का नाम :-	" माँ नर्मदा सेवा पारमार्थिक ट्रस्ट"
पता :-	मकान नंबर 1737, सेक्टर-डी, सुदामा नगर, इन्दौर.
चल सम्पत्ति :-	निरंक
अचल सम्पत्ति :-	निरंक

आज दिनांक 8 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2579)

विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश

खुरई, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

प्ररूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास,

खुरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश के समक्ष

पृ.क्र.-प्रवाचक-1577.- चूंकि, बृजेश कुमार पिता हरदेव प्रसाद मिश्रा, निवासी-शिवाजी वार्ड खुरई तहसील खुरई जिला

सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 20 नवम्बर 2024 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने का सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 नवम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन दिनांक के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम :-	श्री देव रामजानकी जी मंदिर—स्थित नानक वार्ड, पठार खुरई, जिला सागर
सम्पत्ति का विवरण :-	
चल सम्पत्ति :-	राधाकृष्ण के एक जोड़ी चांदी के मुकुट, बांसुरी चाँदी की, ताबीज सोने का, राधा जी 6 गुरियों की माला सोने की, रामजानकी का एक जोड़ी मुकुट चांदी का, धनुष बाण चांदी का, सोने के गुरिया की माला एक, घन्टा—02, झालर—2, गरुणजी—2 एक छोटे 1 बड़े, हनुमानजी का चांदी का मुकुट, शंकरजी का मुकुट कुल कीमत करीब 3 लाख (तीन लाख) रु. लगभग—
अचल सम्पत्ति :-	नगर खुरई स्थित नजूल शीट क्रमांक 25 ए—भूखंड क्र. 88, क्षेत्रफल—49.75 वर्गमीटर.

प्ररूप—चार

[नियम—5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास,

खुरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश के समक्ष

चूंकि, श्रीराम मिश्रा पिता निर्मल कुमार मिश्रा एवं अन्य निवासी—शिवाजी वार्ड खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 20 नवम्बर 2024 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने का सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 नवम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन दिनांक के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम :-	मंदिर श्री हनुमान जी स्थित पठार गांधी वार्ड, खुरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश
सम्पत्ति का विवरण :-	
चल सम्पत्ति :-	चांदी का मुकुट, तीन चांदी के छत्र, घन्टा 3 छोटे व 1 बड़ा घन्टा, झालर दो बड़ी व दो छोटी, गुरुड जी 1, आरती 1, माइक सेट 1, पंखा-5, कुल कीमत करीब 2,00,000/- रु लगभग।
अचल सम्पत्ति :-	नगर खुरई स्थित नजूल शीट क्रमांक 25 ए-भूखंड क्र. 180, क्षेत्रफल-40.75 वर्गमीटर भू खंड क्र.-182, क्षेत्रफल 30.50 वर्गमीटर भू खंड क्र. 183 क्षेत्रफल 23.00 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 94.25 वर्गमीटर।

(G-2580)

रवीश श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी।

अन्य सूचनाएं निविदा सूचना

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 29 अक्टूबर 2024

क्रमांक-रा.आं-1493.- बालाघाट वनवृत्त के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट के कूपों में उत्पादित इमारती काष्ठ /जलाऊ काष्ठ/ बांस को निर्धारित डिपो तक परिवहन करने हेतु परिवहन समूहों की निविदा आमंत्रित की गई है। जो निर्धारित परिवहन समूहों हेतु निर्धारित निविदा तिथियाँ कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

क्र.	निविदा चक्र	संबंधित उत्पादन वनमंडल कार्यालय (उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन) वनमंडल में निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	वृत्त कार्यालय बालाघाट में निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1.	प्रथम निविदा	दिनांक 14-11-2024 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 14-11-2024 को 03:00 बजे दिन से
2.	द्वितीय निविदा	दिनांक 20-11-2024 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 20-11-2024 को 03:00 बजे दिन से
3.	तृतीय निविदा	दिनांक 25-11-2024 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 25-11-2024 को 03:00 बजे दिन से
4.	नीलाम	दिनांक 29-11-2024 प्रातः 11:00 बजे से	वृत्त कार्यालय बालाघाट (अरण्य संवाद भवन) में।

निविदा की शर्तें, परिवहन समूहों की सूची, टेण्डर फार्म एवं निविदा से संबंधित अन्य जानकारियां निविदा प्रकाशन होने के दिनांक से वन वृत्त के संबंधित उत्पादन वनमंडल के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस व समय पर उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। परिवहन समूहों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट (www.mpforest.gov.in) पर भी उपलब्ध रहेगी। निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य है। निविदाकार/बोलीदार को रुपये 3000/- (तीन हजार मात्र) सत्यंकार (EMD) की राशि FDR/CDR जो संबंधित वनमंडलाधिकारी (उत्पादन) के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अधिसूचित बैंक का संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म राशि 100/- रुपये अदाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

निविदा/नीलाम के संबंध में अन्य जानकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट के कार्यालय दूरभाष क्र. 07632-241518 एवं दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट के कार्यालय दूरभाष क्र. 07632-241516 से भी ली जा सकती है एवं विभागीय वेबसाईट (www.mpforest.gov.in) पर भी प्राप्त की जा सकती है।

संक्षिप्त निविदा शर्तें :-

1. प्रत्येक परिवहन समूह के लिये पृथक्-पृथक् निविदायें निर्धारित फार्म में जमा करना होगा।
2. प्रत्येक परिवहन समूह के लिये निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में रु. 3000/ (तीन हजार मात्र) की राशि का एफ.डी.आर./सी.डी.आर. संबंधित वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट के पक्ष में संलग्न करना होगा। डी.डी. मान्य नहीं की जावेगी।
3. निविदाकार को प्रत्येक समूह में 1000-1000 घ.मी. ईमारती लकड़ी, 3000 जलाऊ चट्टे, 500 मी.टन. बांस के लिये कम से कम एक-एक ट्रक परिवहन कार्य में लगाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, जो निविदाकार अथवा फ़ैमिली सदस्य के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण के लिये आर.टी.ओ. का पंजीयन तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं वाहन के बीमा के कागजात एवं पी.यू.सी. संलग्न करना होगा।
4. परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह डिपो में परिवहन किये गये जलाऊ चट्टे निर्धारित आकार में बनाकर देना होगा।
5. परिवहनकर्ताओं को परिवहन समूह में अनुमानित मात्रा से अधिकतम 125 प्रतिशत तक वनोपज की मात्रा का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा की विस्तृत शर्तों, परिवहन समूह की सूची तथा परिवहन कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट से किसी भी कार्यलयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदाकार के द्वारा प्रत्येक निविदा के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
7. निविदा में किसी प्रकार का वाद/विवाद होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
8. परिवहनकर्ता हमाल रजिस्टर रखेंगे एवं हमालों की सूची संग्रहण करेंगे व सूची श्रम न्यायालय में देना होगा।
9. निविदाकार एक समूह के लिये पूरे म.प्र. में एक ही वाहन रखेगा अर्थात् एक वाहन एक से अधिक परिवहन समूह में सम्बद्ध नहीं करेगा।
10. परिवहनकर्ता द्वारा आस-पास के अन्य वृत्तों में निविदा/नीलाम से यदि परिवहन समूह प्राप्त किये गये हैं/किये जाते हैं तो प्राप्त किये गये परिवहन समूहों की संख्या एवं काष्ठ/बांस की मात्रा की जानकारी सहित शपथ-पत्र देना होगा।
11. परिवहन कार्य पर देय समस्त कर (Tax) परिवहनकर्ता/ठेकेदार को स्वयं भुगतान करना होगा।
12. वित्तीय वर्ष के दौरान दस से अधिक भारी वाहनों को नहीं रखने वाले ट्रान्सपोर्टर द्वारा धारा 194 सी (6) के तहत घोषणा वचन पत्र देना होगा।
13. परिवहनकर्ता को स्वयं या अपनी संस्था का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. के पंजीयन की छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा। पेन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
14. परिवहनकर्ताओं से परिवहन पर GST-TDS 2% एवं आयकर-TDS 1% विभाग द्वारा नियमानुसार वसूल किया जावेगा।

(G-2581)

ए.पी.एस. सेंगर, वनसंरक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2024—अग्रहायण 8, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)